न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 31/2020

आरसीएमएस नं. 2020/00031

राजेश पुत्र साहबराम जाति नाई साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. औमप्रकाश
2. कृष्ण कुमार
3. महेन्द्र
4. विजय कुमार

पुत्रगण बेगराज जाति नाई साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. आत्माराम पुत्र साहबराम जाति नाई साकिन दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

दिनांक 14.02.2020 प्रकरण संख्या 72/2018

अनवान राजेश बनाम औमप्रकाश आदि

श्री हवा सिंह पूनिया, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 5

निर्णय दिनांक 06.7.25

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

73/57 की कुल 6.8290 है0 भूमि में से 270 हिस्सा व रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 83/75 की कुल 1.3156 है0 रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 72/68 की कुल 5.3100 है0 भूमि में सायल व गैर सायल नं0 5 व तरतीबी गैरसायल नं0 7 ता 11 का 1/6 हिस्सा व गैर सायल नं0 1 ता 4 का 4/6 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हैं। बेगराज के फौत होने पर सायल की भूआ ओमकला ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह गैरसायल नं. 1 ता 5 के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिए विवादित भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं रहा। दस्तबरदारी दिनांक 12.06.2018 से अकेले गैरसायल नं0 1 ता 5 का कोई हक हिस्सा हासिल नहीं होता बल्कि भूमि से में सायल व गैरसायल नं0 1 ता 11 के पक्ष में उसका हिस्सा समाहित हो जाता है। उक्त दस्तबरदारी को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर सायल विवादित भूमि में अपने व गैरसायल संख्या 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का 21/6 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखने के आदेश दिये जावें। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों से इंकार करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाण्ट/प्रार्थी का धारा 12 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तथ्यों एवं दस्तावेजी सबूत से साबित है कि दस्तबरदारी किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में नहीं की जा सकती। दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकास्तकार का उस खाते व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह काश्तकार ब.हि.बराबर के मुस्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते हैं। कानूनी स्थिति स्पष्ट थी। इसके बावजूद मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया है। सायल ने वाद इस्तकरारहक के लिए पेश किया है जो सिविल अदालत के क्षेत्राधिकार का नहीं है बल्कि राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार का है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मातहत अदालत ने प्रार्थना–पत्र राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार का ना होना मानकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बेगराज के फौत होने पर मुताबिक हक हिस्सा बेगराज के सभी 6 वारिसों को 1/6 –1/6 हिस्साभूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी तथा मुताबिक हक हिस्सा ओमकला को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ जिसकी वह स्वतन्त्र हकदार थी व अपना हक हिस्सा अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकती थी। ओमकला के द्वारा दिनांक 12.06.2018 को दस्तबरदारी के द्वारा हक हिस्सा की भूमि को गैरसायल नं. 1 ता 5 के पक्ष में कर पंजीयन विभाग से दस्तबरदारी पंजीकृत करवाई है। दस्तबरदारी के जरिये रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 को हक प्राप्त हुऐ हैं। ओमकला के द्वारा करवाई गई दस्तबरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो आदिनांक तक बहाल एवं प्रभावी है जब तक दस्तबरदारी बहाल एवं प्रभाव है में अपीलाण्ट किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं है। दस्तबरदारी को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। रेस्पोडेण्ट दस्तबरदारी के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रकरण में रेस्पोडेण्ट की भुआ ओमवती द्वारा दिनांक 12.06.2018 को गैरसायल सं0 1 ता 5 के पक्ष में करवाई गई दस्तबरदारी के संबंध में विवाद है। अपीलाण्ट का कथन है कि दस्तबरदारी किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं की जा सकती है। यदि किसी सहखातेदार द्वारा अपना हक हिस्सा दस्तबरदारी के द्वारा त्याग कर दिया जाता है तो उसका त्याग किया गया समस्त हिस्सा शेषे रहे समस्त सह खातेदारों के हक में बहिस्स बराबर जायेगा। खातेदारी अधिकारों का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में वाद इस्तकरारहक के लिए पेश किया है जो सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं बल्कि राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार का है। दस्तबरदारी द्वारा त्याग किये गये हक हिस्सा सभी सहखातेदारों के पक्ष में जायेगा अथवा नहीं यह तथ्य मूल वाद में तय

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया जाना है। उभयपक्षों के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तथा प्रश्नगत भूमि को खुर्द बुर्द होने से रोकने के लिए अपील में दिनांक 28.02.2020 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाना उचित है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.02.2020 निरस्त किया जाता है एवं अपील में दिनांक 28.02.2020 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़